प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 29-04-2022

विषय- जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध 02 मूक बधिर अभियुक्त/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-12829/सामा-1(8)/लखनऊ/2022, दिनांक 19-04-2022 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध निम्नलिखित 02 **मूक बधिर** विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 की कारागारों में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि की कारागार	स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित कारागार
1	2	3	4
1	राहुल भोला पुत्र प्रवीन भोला	जिला कारागार, लखनऊ	केन्द्रीय कारागार, आगरा
2	मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान पुत्र राजीव यादव	जिला कारागार, लखनऊ	केन्द्रीय कारागार, बरेली

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ/आगरा/बरेली।
3- पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा/बरेली।
5- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा/बरेली।
6- अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को जिला कारागार, लखनऊ से संबंधित कारागारों में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।